न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 29/2015 (225 आरटीए) राणीदान बनाम उदयसिंह वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00051)

राणीदानसिंह पुत्र बस्तसिंह जाति राजपूत, जरिए खास मुख्त्यार दलपतसिंह पुत्र रानीदानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बापिणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 उदयसिंह पुत्र खानूसिंह,
2 आसूसिंह पुत्र बस्तसिंह,
3 कल्याणसिंह पुत्र बस्तसिंह के कायम मुकाम,
3/1 केशुकंवर पत्नी कल्याणसिंह,
3/2 भोमसिंह पुत्र कल्याणसिंह,
3/3 अमरसिह पुत्र कल्याणसिंह,
4 कालूसिंह पुत्र सगतसिंह,
5 मनोहरसिंह पुत्र सगतसिंह,
6 पेपसिंह पुत्र सगतसिंह,
7 लक्ष्मणसिह पुत्र सगतसिंह,
8 उगमसिंह पुत्र सगतसिंह प्रतिवादी सं. 4 से 8 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता निजूकंवर पत्नी सगतसिंह,
9 निजूकंवर पत्नी सगतसिंह जाति राजपूत निवासी बापिणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
10 तहसीलदार एवं सब रजिस्ट्रार ओसियां जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 08.12.2014 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 60/2010

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
2 रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
3 रेस्पोडेंट सं. 2 से 9 का नाम डिलीट किया गया।
3 रेस्पो. सं. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.09.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 60/2010 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 60/2010 पेश किया कि ग्राम बापिणी के खसरा नं. 179 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 226 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा पूर्व खातेदार भोजराजसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी बापिणी के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था। खातेदार भोजराजसिंह का देहांत वर्ष 1970 से पूर्व हो जाने पर नामांतरकरण सं. 281 के जरिए अपीलांट तथा अपीला।ट के दीगर भाइयों के नाम ग्राम पंचायत बापिणी द्वारा विधि अनुसार सर्वसम्मति से पारित किया गया। अपीलांट का उक्त खसरों की भूमि पर भोजराजसिंह के जीवनकाल से कब्जा काश्त चला आ रहा है वर्तमान में अपीलांट व अपीलांट के भाइयों का मौके पर कब्जा काश्त है रेस्पोडेंट उदयसिंह ने विधि विरुद्ध तरीके से विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 10 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि रेस्पो. सं. 1 के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य के जरिए करावें तथा बेदखल नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अपीलांट रणीदानसिंह की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया परंतु विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी उदयसिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2014 को स्वीकार कर दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायायल के अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायायालय में पेश की है।
3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया है एवं रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध जारी किया है।

2/8/19
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति के बिंदु हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों बिंदुओं पर किसी प्रकार का गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र उसमें अंकित तथ्यों के मध्य नजर स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए अपील को मैरिट पर स्वीकार किए जाने का निवनेदन किया।

5 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार भोजराजसिंह पुत्र श्री पनेसिंह राजपूत निवासी बापिणी वाले के नाम से खातेदारी की व कब्जा काश्त की थी। पूर्व खातेदार भोजराजसिंह ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को बाल्यकाल में ही गोद ले लिया था क्योंकि भोजराज के कोई संतान नहीं थी तथा भोजराजसिंह के परिवार में नजदीकी था। ग्राम बापणिी में खसरा नं. 841, 835, 840, 1177/835 कुल रकबा 104 बीघा 5 बिस्वा में भी उक्त भोजराजसिंह पुत्र पनेसिंह सह खातेदार थे। भोजराजसिंह के फोत होने पर इस सहखातेदारी की भूमि में मृतक भोजराजसिंह के स्थान पर प्रार्थी का बतौर उत्तराधिकारी उदयसिंह गोदपुत्र भोजराजसिंह दर्ज कर दिया जो इस भूमि के वर्तमान खाता सं. 213 में बतौर खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी आज तक इसी विश्वास में रहा कि जिस प्रकार खाता सं. 213 के सामलाती खाते में प्रार्थी का नाम दर्ज हो गया है उसी प्रकार वादग्रस्त भूमि में भी दर्ज कर दिया होगा। लेकिन वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण को भाई के लड़के बताकर के म्यूटेशन कर दिया यगा जो सरासर गलत है तथा नल एण्ड वोइड है। अप्रार्थीगण भोजराजसिह के भाई के लड़के नहीं हैं इसके अलावा प्रार्थी भोजराजसिंह का गोदपुत्र है इसलिए भोजराजसिंह के स्थान पर बहैसियत गोदपुत्र के प्रार्थी का नाम उत्तराधिकार में दर्ज होना चाहिए। अप्रार्थीगण ने पोषिंदा तौर पर तत्कालीन पटवारी व सरपंच से मिलकर अपने नाम नामांतरकरण संख्या 281 दर्ज करवा लिया जो प्रार्थी के हक व अधिकारों के खिलाफ शून्य व बेअसर है। नामांतरकरण की प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसीडिंग है जिसके आधार पर कोई स्वत्व व अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया इसलिए यह नामांतरकरण सं. 281 प्रथम दृष्टि में ही खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो. सं. 1 का कब्जा व काश्त पूर्व खातेदार मृतक भोजराजसिंह के जीवनकाल से चला आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि में रेस्पो. सं. 1 का रिहायसी झोपड़ा व ढाणी बनी हुई है। रेस्पो. सं. 1 मृतक भोजराजसिंह की संपूर्ण जायदाद का एक मात्र उत्तराधिकारी व हकदार है तथा भोजराजसिंह की संपत्ति पर काबिज काश्त है। अपीलांट का वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि में कोई हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं हैं मात्र कागजों में गलत नाम दर्ज करवाए गए हैं। राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के गलत नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि से रेस्पो. सं. 1 को बेदखल कर बेचान फरोक्त कर देंगे तथा बेदखल कर देंगे तो रेस्पो. सं. 1 को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों पैसों में नहीं की जा सकती। सुविधा का संतुलन भी रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 के प्रार्थना पत्र व अपीलांट के जबाब के आधार पर विस्तृत विवेचन किया कि भोजराजसिंह के फोत होने पर उनकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 481, 835, 840, 1177/835 में गोदपुत्र उदयसिंह का नाम आ गया तो विवादित खसरा नं. 179 और ख.नं. 226 किस प्रकार पीछे छूट गए। चूंकि वाद घोषणा का है और अधिकारों का प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए इन बिंदुओं का विचारण किए जाने तक इस आराजी की यथास्थित रखी जानी उचित है ताकि भूमि किसी प्रकार खुर्द बुर्द न हो। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रार्थी उदयसिंह के पक्ष में निहित होन से प्रार्थना पत्र सं. 60/2010 उदयसिंह बनाम राणीदानसिंह स्वीकार योग्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधिवत पारित किया है। अपील न्यायालय के स्तर पर किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइस नही हैं अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए रेस्पों के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर है अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील को मियाद के बिंदु पर ही खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण में अपीलांट की ओर से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने कोई जबाब पेश नहीं किया है तथा कोई काउंटर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रकरण को मियाद के बिंदु के बजाय मैरिट पर निर्णित करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में धारा–5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं अतः इस न्यायालय की राय में यदि वाद के दौरान राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाता है तो उससे अनावश्यक कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होंगी, जिनको रोकना राजस्व न्यायायल का दायित्व है। अधिनियम की धारा 212 का प्रावधान इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि इसके जरिए अदालत विवादग्रस्त संपत्ति को अंतिम रूप से अधिकार तय होने तक सुरक्षित व यथावत रख सके। इस उद्देश्य से इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय

2/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद किया जाता तो उचित होता। जहां तक मौके की यथास्थिति बनाए रखने का प्रश्न है इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने यह विश्लेषण नहीं किया है कि कब्जे की वर्तमान स्थिति क्या है। यह जाने बिना कि विवादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में कौन काबिज है मौके की यथास्थिति का आदेश कोई अर्थ नहीं रखता है। अधीनस्थ न्यायालय को यह बताना चाहिए कि वर्तमान में कौन काबिज है, तभी मौके की यथास्थिति का आदेश देना चाहिए। अतः इस प्रकरण में न्याय हित में ताफैसला मूल वाद केवल राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है। इससे किसी भी पक्षकार के हितों पर किसी प्रकार का विपरीत असर पड़ने की संभावना नहीं हैं।

8 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां का अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 08.12.2014 इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि ग्राम बापिणी तहसील ओसियां के आराजी खसरा नं. 179 रकबा 19 बीघा तथा खसरा नं. 226 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण ताफैसला मूलवाद बनाए रखें। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर